हिन्दुस्तान
पटना • बुधवार • 10 जुलाई 2019 | 02

पुराने फ्लैटों की रजिस्ट्री से रोक हटेगी : अफजल

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन अफजल अमानुल्ला ने कहा कि उन तमाम लोगों को जल्द राहत मिलने जा रही है, जिनके फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। स्थानीय होटल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रेरा के आदेश की गलत व्याख्या करके पुराने प्रोजेक्टों में भी रजिस्ट्री रोक दी गई थी।

कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार से लगातार बात हो रही है। एक-दो दिन में यह दिक्कत दूर हो जाएगी। सालभर की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी कोशिश रही कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हो सके, वह भी किसी बिल्डर का उत्पीड़न हुए बिना। रेरा चेयरमैन ने कहा कि अथॉरिटी ने रेरा की जद में आने वाले गैर पंजीकृत प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री पर रोक के लिए कहा था। मगर इसकी जगह पुराने प्रोजेक्टों में भी रजिस्ट्री रोक दी गई। इससे सरकार का राजस्व भी घटा है। सरकार इसके लिए जरूरी बदलाव करने जा रही है। कहा कि लोगों को प्रोपर्टी खरीदने से पहले रेरा की साइट पर प्रोजेक्ट और बिल्डर का प्रोफाइल देखकर ही पैसा लगाना चाहिए। कहा कि सरकार ने जो क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया है, वहां भी भवन बन रहे हैं। सरकार को इसके लिए कोई व्यवस्था निर्धारित करनी होगी। हम यह सुनिश्चत कर रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का 70 प्रतिशत पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगे। बिल्डर पैसे का कोई दूसरा प्रयोग न कर सके, इसलिए उसके खातों पर भी निगरानी रखी जाएगी।

उपलब्धियां गिनाईं

- रेरा चेयरमैन ने कहा, ग्राहकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की
- आदेश की गलत व्याख्या हुई, पुराने प्रोजेक्टों में भी रोकी गई रजिस्ट्री

अभी 30 प्रतिशत ने नहीं कराया है पंजीकरण

अथॉरिटी के सदस्य आरबी सिन्हा और एसके सिन्हा ने कहा कि मनमानी करने वाले बिल्डरों पर लगातार लगाम कसी जा रही है। अब तक 700 से अधिक पंजीकरण हुए हैं। हालांकि अभी 30 प्रतिशत लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया है। प्रोपर्टी एजेंटों का भी पंजीकरण होना है, लेकिन इसकी गति धीमी है। अब तक सौ से अधिक लोगों को फ्लैट और पैसा रेरा के आदेशों से मिला है। कहा कि दूसरे जिलों में भी रेरा का दायरा बढ़ाया जाएगा।

पत्रकारों से बात करते रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्ला व अन्य।